प्रेस नोट थाना एत्माद्दौला जनपद आगरा ।

डॉक्टर अपहरण करने वाले अभियुक्तों की तलाश व गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों द्वारा दी जा रही लगातार दबिश के अत्यधिक दवाब के कारण रू0 25,000/- इनामी/वांछित 01 अभियुक्त द्वारा थाना एत्माद्दौला में किया गया आत्मसमर्पण.....

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 13/14.07.2021 को श्रीमती विद्या देवी पत्नी डॉक्टर उमाकान्त गुप्ता नि0 टीवाईसी फेस 2 थाना एत्माद्दौला द्वारा थाना एत्माद्दौला पर सूचना दी गयी कि आज मेरे पति डॉक्टर उमाकान्त गुप्ता शाम को घर से कहीं बाहर जाने की बोलकर अपनी बलेनो गाड़ी यूपी 80 ईजे 7472 से कहीं गये थे। जब काफी समय तक घर नहीं आये, मोबाइल से सम्पर्क करने पर मोबाइल स्विच ऑफ आया रहा था। इस सूचना पर तत्काल गुमशुदगी दर्ज की गयी। अभिषेक गुप्ता पुत्र डॉ0 उमाकान्त गूप्ता नि0 ट्रान्स यमुना कालौनी रामबाग थाना एत्माद्दौला जनपद आगरा द्वारा थाना एत्माद्दौला पर प्रार्थना पत्र दिया गया एवं बताया गया कि हमें आशंका है कि मेरे पिताजी का अज्ञात लोगों द्वारा अपहरण कर लिया गया है।

इस सूचना पर थाना एत्माद्दौला पुलिस द्वारा उच्चाधिकारियों को अवगत कराते हुए दिनांक 14.07.2021 को मु0अ0सं0 471/21 धारा 364 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी थी।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा के आदेशानुसार जनपद मे फिरोती हेतु अपहरण की पूर्ण रोकथाम एवं इनामी अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक नगर व पुलिस अधीक्षक ग्रमीण पश्चिमी के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी छत्ता के सफल परिवेक्षण में थाना प्रभारी एत्माद्दौला आगरा को टीम गठित कर गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

इसी क्रम में अन्य अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमें उच्चाधिकारियों के निर्देशन में लगातार तलाश करते हुए विभिन्न स्थानों पर दबिश व पूछताछ की जा रही थी। दिनांक 21.07.2021 को वांछित अभियुक्तों की तलाश में दी जा रही दबिश में अत्यधिक दवाब के कारण अभियुक्त श्री भगवान उर्फ भोला थाना एत्माद्दौला पर आया और पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया।

पूछताछ का विवरण:-

पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त से पूछताछ करने पर अपना नाम श्री भगवान उर्फ भोला पुत्र दूशासन निवासी गांव सायंकापुरा थाना निबोहरा जनपद आगरा बताया। पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा बताया गया कि दिनांक 13.07.2021 मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर डा0 उमाकान्त गुप्ता का अपरहण किया था और पांच करोड की फिरोती की मांग थी। पुलिस द्वारा पूर्व में मेरे 02 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया था इस कारण मैं पुलिस से छिपता घूम रहा था। गिरफ्तार भोला की निशादेही पर अपहृत डा0 उमाकान्त गुप्त की चप्पल व अभियुक्त भोला अंगोछा बरामद किया गये।

विशेष:-

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा द्वारा अभियुक्त श्री भगवान उर्फ भोला पुत्र दूशासन निवासी गांव सायंकापुरा थाना निबोहरा जनपद आगरा पर पूर्व में रुपये 25,000/- का इनाम घोषित किया गया था।

अन्य:-

दिनांक 15.07.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा के नेतृत्व में अपहृत डा0 उमाकान्त गुप्ता को आगरा पुलिस टीम द्वारा जनपद धौलपुर राजस्थान से सकुशल बरामद कर लिया गया था तथा 02 अभियुक्तगण, 01. पवन ठाकुर पुत्र महावीर सिंह नि0 पुरा भगतू थाना निबोहरा जनपद आगरा हालपता ग्राम आबाद देख खेड़ा थाना राजाखेड़ा धौलपुर राजस्थान व 02. संध्या उर्फ मंगला पाटेकर पत्नी स्व0 रामचरन पाटेकर नि0 मलपुरी गोगिया भण्डारा महाराष्ट्र को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

➢ **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-**

01.श्री भगवान उर्फ भोला पुत्र दूशासन निवासी गांव सायंकापुरा थाना निबोहरा जनपद आगरा।

➢ **आपराधिक इतिहास का विवरण:-**

01. मु0अ0सं0 471/2021 धारा 364ए भादवि थाना एत्माद्दौला जनपद आगरा।

।

मीडिया सेल जनपद आगरा।